भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *312

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं की स्थिति

***312. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोजगार सृजन से संबंधित वर्तमान में चल रही सभी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके अंतर्गत युवा लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा स्नातकों, डिप्लोमा धारकों और तकनीकी रूप से योग्य युवाओं, जो शैक्षिक योग्यता के बावजूद लंबे समय तक बेरोजगारी की स्थिति का सामना करते हैं, के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए की जा रही विशिष्ट पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करने का है और यदि हां, तो प्रस्तावित नीति के अंतर्गत परामर्शों, उद्देश्यों, बजटीय आवंटन और अपेक्षित परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भर्ती परीक्षाओं, परिणामों की घोषणा और नियुक्तियों में विलंब के कारण युवाओं की बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सभी विभागों में समय पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उद्योगों के लिए प्रोत्साहन, स्टार्टअप के लिए सहायता और रोजगार सृजन से सीधे तौर पर जुड़े कौशल विकास के विस्तार सहित युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) एवं (च): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं की स्थिति" के संबंध में सांसद श्री बी. मणिक्कम टैगोर द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *312 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (च): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया योजना आदि जैसी विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है

भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 38.5% से बढ़कर वर्ष 2025 में 41.4% हो गया है और युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 10.9% से घटकर वर्ष 2025 में 9.9% हो गई है।

विधायी सुधारों के एक हिस्से के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को चार संहिताओं अर्थात वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में शामिल किया गया है। इन संहिताओं को दिनांक 21 नवंबर, 2025 से कार्यान्वित किया गया है। इन संहिताओं का उद्देश्य सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालन भार में कमी के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढावा देकर प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्त पदों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने के लिए मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार में रिक्तियों को मिशन-मोड में भरा गया है और अक्तूबर 2022 से आयोजित हो रहे राष्ट्रीय रोजगार मेला

कार्यक्रमों में अनुशंसित/चयनित उम्मीदवारों को कई लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। देश भर में आयोजित 19 रोजगार मेलों के माध्यम से 12.5 लाख से अधिक भर्ती पत्र जारी किए गए हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है इससे देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।

सरकार ने 1.91 लाख करोड़ रुपये के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों (कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र सहित) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना, रोजगार सृजित करना और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) पीएलआई योजनाओं के समग्र समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, जबकि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 31.03.2026 तक, पीएलआई योजनाओं के तहत, देश में 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक निवेश और 14.15 लाख (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) से अधिक रोजगार सृजित हुए।

इसके अलावा, सरकार रोजगार सृजन का समर्थन करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। पीएमवीबीआरवाई एक मांग-आधारित योजना है। देश में इस योजना के कार्यान्वयन के बाद से जून, 2026 तक, भाग “क” के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले 13.18 लाख कर्मचारियों को 744.58 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है, जबकि योजना के भाग “ख के तहत 67,369 लाभार्थी प्रतिष्ठानों को 2,068.84 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल दिनांक 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण करना था। 30 जून 2026 तक, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 2,40,092 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार देश भर में

स्टार्टअप्स को सहयोग करने के लिए लगातार विभिन्न प्रयास करती है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख योजनाएं अपने व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप को सहयोग करती हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) भी लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से लैस करना है।

'उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन (पीएम-सेतु)' योजना का उद्देश्य देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाना है। इस योजना का कुल परिव्यय 60,000 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
